भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4837
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई का कार्यान्वयन

4837. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में विशेषकर तिरुपति जिले में सूक्ष्म सिंचाई कार्यान्वयन की प्रगति सहित इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के किसानों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और तिरुपति जिले में लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कम आवश्यकता वाली फसलों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तिरुपति में कृषि में संवहनीय ढंग से जल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या विशिष्ट पहल की जा रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम वर्ष 2015-16 से आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम की शुरुआत से लेकर आज तक 96.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले का 20,819 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

(ख) : पीडीएमसी स्कीम के तहत, छोटे और सीमांत किसानों तथा अन्य किसानों को इकाई लागत के क्रमशः 55% और 45% की दर से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त/टॉप अप सब्सिडी प्रदान करती है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015-16 से लेकर आज तक तिरुपति जिले में इस स्कीम के तहत 19,272 किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ग) : आंध्र प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक बोरवेल के तहत धान और तम्बाकू की 14,332 हेक्टेयर भूमि को 138.48 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ दलहन, मिलेट्स, मक्का और तिलहन की खेती में शामिल किया गया है। कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें मिलेट्स और दलहन जैसी जल कुशल फसलों को बढ़ावा देना, अच्छी कृषि पद्धतियों पर क्लस्टर प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों का वितरण, प्रमाणित बीजों का उत्पादन, मृदा और पौध संरक्षण प्रबंधन के लिए इनपुट का वितरण, मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, कार्यशालाओं का आयोजन, मिनी आटा मिलों की आपूर्ति और

फ़सलोपरांत प्रबंधन/मूल्य संवर्धन आदि पर प्रशिक्षण शामिल हैं। राज्य के जल संकट वाले क्षेत्रों में शुष्क भूमि बागवानी फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

(घ) : आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कृषि में जल के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन, मृदा नमी निगरानी और सूखा प्रतिरोधी फसलों को प्रोत्साहित करने जैसी नवीन तकनीकों को तिरुपति जिले में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे जल की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में मदद मिलती है।

****